फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मोतीलाल बनाम विपक्षी : श्री बाबक व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 30/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 01.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 5 को समन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। विपक्षी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 5 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य कानूनी रूप से बंटवाडा नहीं हुआ है। विपक्षीगण प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि पर काश्त नही करने दे रहे तथा दखलअंदाजी कर रहें हैं जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका कानूनी रूप से विभाजन नही हुआ है प्रार्थी प्रार्थनाग्रस्त भूमि में खातेदार है। प्रार्थी द्वारा कथन कहा की विपक्षी प्रार्थी को काश्त नहीं करने दे रहें तथा दखलअंदाजी कर रहे हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खरडोदा(खडोदा) पटवार हल्का बरोडिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 214 की आराजी नम्बर 1098, 708, 834, 841, 842, 901, 908, 914, 925, 986 किता 10 रकबा 2.6400 हैक्टयर भूमि में विपक्षी मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:02 IST
Reason: SelfAttested